

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक B/6801 /

जबलपुर, दिनांक 27/12/18

II-14-113/18

श्रीमती नीतू सोलंकी, सहायक ग्रेड-तीन, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खंडपीठ इंदौर को दिनांक 01.05.18 से 18.05.18 तक 18 दिन का अर्जित अवकाश, दिनांक 19.05.18 से 14.11.18 तक 180 दिन का प्रसूति अवकाश एवं दिनांक 15.11.18 से 16.11.18 तक 2 दिन का अर्जित अवकाश एवं दिनांक 26.11.18 से 24.01.19 तक 60 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

माननीय मुख्य न्यायाधिपति
महोदय के आदेशानुसार

सही / -

(प्रकाश चन्द्र गुप्ता)

प्रिंसिपल रजिस्ट्रार (सतर्कता)


पृष्ठांकन क्रमांक B/6802 /

जबलपुर, दिनांक 27/12/18

II-14-113/18

प्रतिलिपि :-

1. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, खण्डपीठ-इंदौर की ओर उनके Memo No. Leave/2387 Indore, Dated 30/11/18 & Memo No. Leave/2363 Indore, Dated 27/11/18 के संदर्भ में श्रीमती नीतू सोलंकी, सहायक ग्रेड-तीन का आवेदन पत्र एवं संलग्न सहपत्रों सहित वापस करते हुए अनुरोध है कि प्राप्ति की अभिस्वीकृति इस रजिस्ट्री को भिजवाने का कष्ट करें।
संलग्न : उपरोक्तानुसार ।
2. रजिस्ट्रार (आई.टी.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर आदेश उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु,
3. असि. रजिस्ट्रार, स्थापना शाखा, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।
4. सहायक अवकाश, स्थापना शाखा, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।


24.12.18
(सतीश चन्द्र राय)
रजिस्ट्रार (प्रशा.)